आम आदमी के बढ़ते कदम
हर कदम पर भारत बुलंद

कांग्रेस पार्टी का संकल्प

आतंकवाद से भारत की सुरक्षा

आम आदमी के बढ़ते कदम
हर कदम पर भारत बुलंद

अप्रैल 7, 2009

अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी
24, अकबर रोड, नई दिल्ली

विषय–सूची

I. **संदर्भ** 1

II. **आतंकवाद का जवाब : कांग्रेस योजना के अंश** 3

(क) उच्च स्तरीय तैयारी – पहला स्तम्भ 5

1. समर्थ और सक्षम मानव संसाधन 5

2. सक्रिय असूचना तंत्र और अत्याधुनिक विश्लेषण 7

3. सशक्त और समन्वित सुरक्षा एजेंसियां 11

(ख) आतंकवादी चेतावनी या हमलों के खिलाफ निर्णयात्मक प्रतिक्रिया– दूसरा स्तम्भ 13

1. धमकी या हमले के खिलाफ निर्णायात्मक कार्रवाई 13

2. सख्त कार्रवाई के लिए अन्वेषण और कानूनी प्रक्रिया में तेजी 15

III. **निष्कर्ष** 17

I. संदर्भ

पिछले दस वर्षों से आतंकवाद विश्वभर के लिए सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा बन गया है। अमेरिका में 9/11 से लेकर स्पेन में ट्रेन बम विस्फोट, इग्लैंड में मेट्रो रेल पर हमला, इंडोनेशिया के बाली शहर में बम विस्फोट जैसी आतंकवादी घटनाएं विश्वव्यापी चुनौती है।

भारत भी इस स्थिति से अप्रभावित नहीं रह सकता। दरअसल, भारतीय समाज में विभिन्न धर्मों में आस्था रखने वाले लोग एक साथ रहते आए हैं। समाज में व्याप्त धर्मनिरपेक्षता और सहिष्णुता की भावना को सुरक्षित रखने के लिए यह देश वचनबद्ध है और इसी वजह से आतंकवादियों के लिए इसे निशाना बनाना आसान होता है। आज विविध स्रोतों से उत्पन्न अनेक प्रकार की आतंकी चुनौतियां हमारे सामने हैं – घोषित आतंकवादी संगठन, राष्ट्र के समर्थन से चल रहे आतंकवादी समूह, स्वतंत्र सक्रिय समूह और अपराधियों का समूह। दुनिया भर में फैले आतंकवादी संगठनों के पास आज अति–परिष्कृत और आधुनिक हथियार एवं उपकरण मौजूदगी के कारण आतंकवादी हमलों की व्यापकता और तीव्रता बढती जा रही है। जैसे कि प्रधान मंत्री मनमोहन सिंह ने कहा है कि "ये और घातक होते जा रहे हैं।" इस खतरे से निपटना पूरे विश्व के देशों के सामने एक असाधारण चुनौती बन गई है। किसी भी जिम्मेदार देश को इस खतरे से निपटने के लिए युद्ध जैसी तैयारी करनी पड़ेगी।

हमारा संकल्प

काग्रेंस पार्टी इस चुनौती से पूरी तरह सजग है। आंतकवाद की चुनौती का सामना करने के लिए शक्तिशाली और निर्णायक नेतृत्व देने के लिए कांग्रेस पार्टी सक्षम है और वचनबद्ध है – भारत की जनता के प्रति यह हमारा संकल्प है।

आतंकवाद को खत्म करने के लिए कांग्रेस पार्टी की सामरिक योजना के कुछ पहलुओं की रूप–रेखा हम यहां प्रस्तुत कर रहे हैं। इसके आरंभ में काग्रेस की अगुवाईवाली संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (यू.पी.ए.) सरकार द्वारा इस दिशा में उठाये गए सख्त कदमों की जानकारी दी गयी है। इसमें खासकर मुम्बई में 26 नवम्बर, 2008 को हुऐ हमलों के बाद सुरक्षा से संबंधित उपायों को लागू करने के लिए किए गए प्रयासों का लेखा–जोखा देने के साथ–साथ पिछले कुछ महीनों में आतंकवाद के विरूद्ध कांग्रेस पार्टी द्वारा उठाए गए सुरक्षात्मक कदमों का उल्लेख किया गया है। यह हमारा वादा है कि अगर आम–चुनाव में विजयी होकर कांग्रेस पार्टी सरकार बनाएगी तो इन उपायों को तत्काल लागू किया जायेगा। आधुनिक तकनीक

के बेहतर इस्तेमाल, बेहतर आधुनिक उपकरणों से लैस सुरक्षा बल, बेहतर सामंजस्य, स्पष्ट संचालन प्रक्रिया और जांच व कानूनी प्रक्रिया में तेजी लाने पर हमारा दृष्टिकोण केंद्रित रहेगा।

यहां एक महत्वपूर्ण तथ्य पर ध्यान देना आवश्यक है कि इस पेपर में आतंकवाद की चुनौती से निपटने के लिए संगठन, प्रबंधन और तकनीकी प्रयासों पर प्रकाश डाला गया है। हम यह मानते हैं कि इस परिप्रेक्ष्य में राजनैतिक ढाँचा भी अत्यन्त आवश्यक है। जैसा कि 2009 के आम चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी के घोषणा–पत्र में कहा गया है :

"आंतकवाद की लड़ाई कठोरता, चतुराई और बुद्धिमता की लड़ाई होनी चाहिए, जहां किसी किस्म के भय और पक्षपात के लिए कोई जगह नही होगी। आतंकवाद का मुकाबला एकजुट होकर ही सम्भव है न कि धर्म के नाम पर लोगों में फूट डालकर। भाजपा जैसी राजनैतिक पार्टियां, जिनका राजनीतिक आधार ही समाज का ध्रुवीकरण करना है, उनकी कार्यशैली आतंकवाद के साथ हमारी लड़ाई की क्षमता को कमज़ोर करती है।"

अगर हम हर तरह के सांप्रदायिक एजेंडे को खत्म नहीं करते हैं तो आतंकवाद को नष्ट करने की आशा भी हमें नहीं करनी चाहिए। आतंकवाद समाप्ति के मुद्दे पर कांग्रेस और भाजपा की सोच में यही मौलिक अंतर है। यह जगजाहिर है कि भाजपा की अगुवाईवाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एन.डी.ए.) सरकार की तथाकथित 'मसक्यूलर' नीतियों, 'कारगिल हमले', 'कंधार में घुटनाटेक' और 'ऑपरेशन पराक्रम' जैसी घटनाओं की कितनी भारी कीमत इस देश को और यहां की जनता को चुकानी पड़ी थी। इन घटनाओं से बाहर की दुनिया को, आतंकवाद के मुद्दों पर देश की असंगत और कमजोर नीति का संकेत जाता है। कुछ ऐसी कहानियां भी हैं, जो जगजाहिर नही हैं, जैसे 1998–2004 के दौरान जब देश के गृहमंत्री श्री लालकृष्ण आडवाणी थे, तब भारतीय पुलिस सेवा (आई.पी.एस.) अधिकारियों की पर्याप्त संख्या में भर्ती नहीं की गयी थी। भाजपा की अगुवाईवाली एन.डी.ए सरकार के ऐसे उपेक्षापूर्ण रूख की वजह से सुरक्षा–तंत्र में आयी कमी का खामियाजा हमें आतंकवाद के विरुद्ध कमजोर लड़ाई के रूप में भुगतना पड़ा। इसके अतिरिक्त, एन.डी.ए. शासन मे राष्ट्रीय पहचान–पत्र परियोजना को भी स्थगित कर दिया गया।

सिर्फ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी में वह क्षमता मौजूद है जिसकी वजह से हमारे समाज के सदियों पुरानी परंपराओं को नुकसान पहुंचाए बिना एकजुटता के साथ आतंकवाद के खिलाफ साफ और निर्णायक लड़ाई लड़ सकती है।

II. आतंकवाद का जवाब : कांग्रेस योजना के अंश

यह एक तथ्य है कि पिछले दस वर्षों में जब केन्द्र में पहले एन.डी.ए. सरकार और बाद में यू.पी.ए. सरकार के कार्यकाल में इस देश ने और यहां की जनता ने आतंकवाद के लगातार बढ़ते हमलों को झेला है। इन हमलों की प्रकृति पहले से ज्यादा खतरनाक होती जा रही है। हालांकि दोनों सरकारों ने अपने–अपने तरीकों से इस चुनौती का सामना किया है, लेकिन यू.पी.ए. सरकार की कोशिश हमेशा एक व्यापक स्तर पर काम करने की रही है जिसका उद्देश्य आतंक के हमलों के समय अनुकूल जवाबी कार्रवाई के साथ ही ऐसे हमलों की पूर्व सूचना का सही विश्लेषण करने की क्षमता को विकसित करना भी है, ताकि इस खतरे को सदा के लिए समूल नष्ट किया जा सके। मुम्बई में 26/11 के हमलों के बाद, जहां योजना और कार्यान्वयन, दोनों स्तर पर आतंकवाद का विकसित और परिष्कृत रूप देखने को मिला, हमारी यह बहुस्तरीय योजना देश की सुरक्षा के लिए आवश्यक हो गई है।

इस सन्दर्भ में गृहमंत्री पी० चिदंबरम ने अपने एक बयान में कहा है कि, "हमने अपने लिए दो लक्ष्य निर्धारित किये हैं – पहला आंतकवाद के निरंतर परिष्कृत होते जा रहे रूप से निपटने के लिए अपनी तैयारी का स्तर बढ़ाना और दूसरा, आतंकवाद के हमले की चेतावनी या हमले की जवाबी कार्रवाई में गुणवत्ता और निर्णय लेने की क्षमता को विकसित करना।"

आगे हम कांग्रेस के नेतृत्व में यू.पी.ए. सरकार द्वारा आतंकवाद के खिलाफ किये गये उपायों की जानकारी पेश कर रहे हैं, साथ ही उन तत्वों का विश्लेषण भी कर रहे है, जिस पर अमल किया जाएगा। गृहमंत्री के बयान को आधार बनाकर विभिन्न उपायों को श्रेणीबद्ध किया गया है:

(क) उच्च स्तरीय तैयारी

1. समर्थ और सक्षम मानव संसाधन
2. सक्रिय असूचना तंत्र और अत्याधुनिक विश्लेषण
3. सश्क्त और समन्वित सुरक्षा एजेंसियां

(ख) आतंकवादी चेतावनी या हमलों के खिलाफ निर्णयात्मक प्रतिक्रिया

4. धमकी या हमले के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई
5. सख्त कार्रवाई के लिए अन्वेषण और कानूनी प्रक्रिया में तेजी

इन उपायों को सुनियोजित तरीके से नीचे दिखाया गया है :

<u>आतंकवाद से निपटने के लिए कांग्रेस की रणनीति के पांच मूलभूत</u>

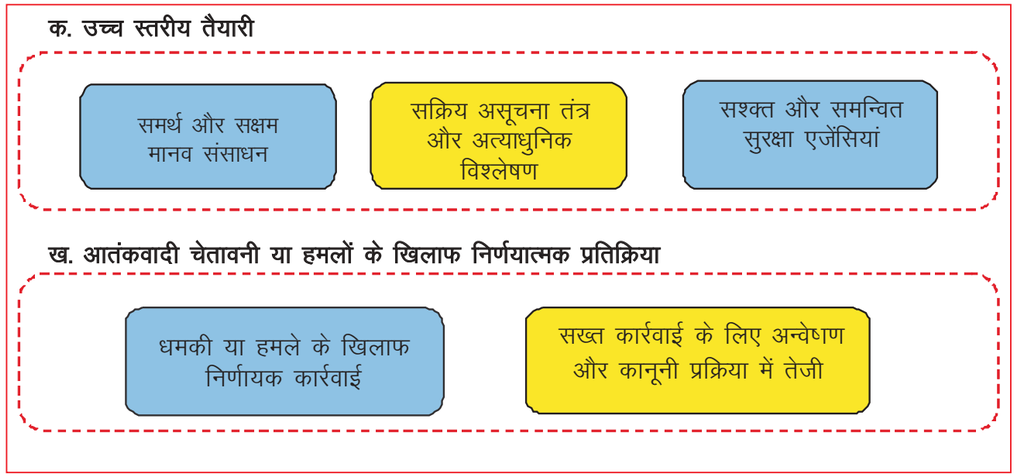

(क) उच्च स्तरीय तैयारी – पहला स्तम्भ

आतंकवाद के खिलाफ हमारी निर्णायक मुहिम का पहला लक्ष्य आतंकविरोधी मशीनरी की क्षमता का विकास करना है। इसके लिए इस मशीनरी के प्रत्येक स्तर पर और हर आयाम में सुधार की आवश्यकता है। व्यवस्थित तरीके से इस कार्य को करने की जरूरत है। इस लक्ष्य को पूरा करने में हमने कभी कोताही नही बरती है, और भविष्य में भी हर सम्भव प्रयत्न के लिए हम तैयार हैं।

1. <u>समर्थ और सक्षम मानव संसाधन</u>

हमारे पास उच्च स्तर के प्रशिक्षित और आधुनिक उपकरणों से लैस कुशल सुरक्षाकर्मी होंगे, जो आतंकवाद की चुनौती से निपटने में समर्थ होंगे, यह सुनिश्चित करने के लिए हम वचनबद्ध हैं।

अपने सुरक्षाबलों की क्षमता को विकसित करने के उद्देश्य से कांग्रेस के नेतृत्व में यू.पी.ए. सरकार ने निम्नलिखित उपायों को लागू करने की पहल की है :

- **पुलिस भर्ती की दीर्घकालीन योजना :** 2009 से 2020 की अवधि के लिए पुलिस भर्ती योजना तैयार करने के लिए हमने, एक पैनल बनाया है। बढ़ती आवश्यकता को ध्यान में रखकर, फिलहाल जारी विस्तार योजना के तहत राज्य पुलिस बल, केन्द्रीय पुलिस संगठन और सी.पी.एम.एफ. में अधिकारी स्तर पर नयी भर्ती के मद्देनजर यह योजना तैयार की गयी है। 1.1.2009 तक, आई.पी.एस. कैडर में करीब 557 अधिकारी कम थे। गृहमंत्री द्वारा हाल ही में की गयी टिप्पणी के अनुसार ऐसा एन.डी.ए. सरकार के उपेक्षित रवैये के कारण हुआ है। 1998 से 2004 के बीच जब एन.डी.ए. की सरकार थी और एल.के. अडवाणी गृहमंत्री थे, नयी भर्ती के लक्ष्य को 85 से घटाकर 36 कर दिया गया, बिना किसी कारण के। 1999, 2000 और 2001 में यही नीति अपनाई गयी। गृहमंत्री ने जैसा कहा कि अवकाश प्राप्ति के कारण रिक्त पदों का लेखा–जोखा अस्पष्ट आधारहीन और भ्रांतिपूर्ण था, और यह भी कि "सी.पी.एम.एफ. और सी.पी.ओ. सहित अन्य सुरक्षाबलों में विस्तार व वृद्धि के लिए किसी तरह की योजना बनाने का प्रयास तक नहीं किया गया था।" कांग्रेस पार्टी यह सुनिश्चित करती है कि पैनल द्वारा 31 मई 2009 तक रिपोर्ट सौंपने पर इस कमी को हमेशा के लिए दूर करने के लिए उचित कार्रवाई होगी।

- **पुलिस बल में रिक्त पदों को भरना :** इसी तरह राज्यों के पुलिस बल में कांस्टेबल, सब–इंस्पेक्टर और सहायक सुपरिन्टेंडेंट जैसे उच्च स्तर सहित हर स्तर पर तमाम कमियों के प्रती यू.पी.ए. सरकार ने सख्त कदम उठाये हैं। कांग्रेस पार्टी यह सुनिश्चित करती है कि 31 मार्च, 2010 तक इस स्तर के सभी रिक्त पदों पर भर्ती कर दी जाएगी। इसके अलावा ये भी सुनिश्चित किया जायेगा कि, हर ब्लॉक स्तर पर कम से कम एक पुलिस स्टेशन हो; राज्य के सभी पुलिस स्टेशन में पर्याप्त व प्रभावी तथा हथियारों से लैस कांस्टेबल मौजूद हो; राज्य के सभी पुलिस स्टेशन एक–दूसरे से और जिला तथा राज्य स्तर के पुलिस हेडक्वार्टर से संपर्क में रहेंगे; और हर पुलिस स्टेशन में एक अधिकारी होगा, जिसके जिम्मे सिर्फ सूचना एकत्रित करने का काम होगा। कांग्रेस पार्टी यह सुनिश्चित करेगी कि पुलिस बल के आधुनिकरण की व्यवस्था को अगले पलेन में शामिल किया जाए और पांच वर्ष की अवधि में फंड को पांच गुना बढ़ा दिया जाये।

- **सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस ऐकेडमी, हैदराबाद :** भारत की प्रमुख पुलिस ऐकेडमी में बदलते समय के साथ बदलाव जरूरी है। गृहमंत्री द्वारा ऐकेडमी का दौरा करने के बाद बदलाव के लिए नये सुझावों पर गौर किया जा रहा है। कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार इसके पाठ्यक्रम को बदलने की कार्रवाई को अमल में लायेगी, जिसमें आतंकवाद के विरूद्ध कार्रवाई, जंगलवार और तकनीकी सूचना से संबंधित विषयों को शामिल किया जायेगा। दुनिया भर में फैले आतंकवाद की स्थिति में पुलिस बल प्रभावशाली नेतृत्व में सक्षम हो सके, इसके लिए अधिकारियों को आधुनिक उपकरण और उच्च स्तर का प्रशिक्षण दिया जायेगा।

- **प्रतिरोध कार्रवाई और आतंकवाद विरोधी प्रशिक्षण केन्द्र :** देश भर में 20 ऐसी संस्थाएं बनायी जायेगी, जहां हमारे अधिकारियों को उच्च स्तर का विशेष प्रशिक्षण देने की व्यवस्था में सरकार समर्थ होगी, ताकि दिनों–दिन परिष्कृत होते जा रहे आतंकवाद के हमलों को रोकने और इससे निपटने में सुरक्षा बल सक्षम हो।

- **सौ दिवसीय सक्रिय कार्रवाई योजना (एक्शन प्लान):** एम.एच.ए. द्वारा सूत्रबद्ध किये गऐ एक्शन प्लान को 31.5.2009 तक पूरा कर दिया जायेगा। जीत कर सरकार बनने पर कांग्रेस पार्टी दो अन्य योजनाओं पर काम शुरू करेगी–2009 से 2010 में बचे हुए दस महीने की अवधि के लिए पहली योजना और सरकार के पूरे शासन काल के लिए दूसरी योजना। यह पूरी योजना नेशनल पुलिस मिशन के सुझावों के आधार पर 15 माइक्रो मिशन के इर्द–गिर्द बनायी जायेगी। पांच वर्षों में इसे पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।

इन उचित उपायों के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के अलावा, अगर कांग्रेस पार्टी जीत कर सरकार बनायेगी, तो निम्नलिखित प्रयास करने के लिए वचनबद्ध है :

- **विशिष्ट एवं अति–विशिष्ट व्यक्तियों की सुरक्षा की व्यापक समीक्षा :** विशेष रूप से प्रशिक्षित सुरक्षा बलों की एक बड़ी संख्या आज विशिष्ट व्यक्तियों की सुरक्षा में तैनात है। पिछले दशक में इस संख्या में और इस पर होने वाले खर्च में बढ़ोत्तरी हुई है। इस वजह से हमारे सुरक्षा बल को अतिरिक्त तनाव झेलना पड़ता है, जिसका सीधा असर आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई के समय सुरक्षा बल की उपलब्धता और क्षमता पर पड़ता है। अपने अगले कार्यकाल में हम इसकी समीक्षा करेंगे। जरूरत के मुताबिक संशोधन किये जायेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि उच्च प्रशिक्षण प्राप्त सुरक्षा बल आतंकवाद की लड़ाई के लिए उपलब्ध रहें। छह महीने के अंदर यह समीक्षा कर ली जायेगी और विशिष्ट लोगों की सुरक्षा के लिए वैकल्पिक प्रबंध भी किया जायेगा।

2. <u>सक्रिय असूचना तंत्र और अत्याधुनिक विश्लेषण</u>

6.1.2009 को देश की सुरक्षा के मुद्दे पर राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक में प्रधानमंत्री ने कहा था कि इस दौर में आतंकवाद से लड़ने के लिए एक महत्वपूर्ण प्राथमिकता सूचना का बेहतर और सही विश्लेषण करना है। ऐसा सभंव हो इसके लिए यह आवश्यक है कि राज्य और केंद्र सरकार को सूचनाएं उपलब्ध हों। साथ ही सूचनाओं के विश्लेषण के लिए सहायक उपकरण और सक्षमता का होना भी आवश्यक है। इससे आतंकवाद को रोकने की हमारी कोशिश को मदद मिलेगी।

इन उपायों को लागू करने के लिए कांग्रेस के नेतृत्व में यू.पी.ए. सरकार निम्न तत्वों पर काम कर रही है :

- **मल्टी एजेंसी सेंटर (मैक) :** एक बेहतर व प्रभावकारी मल्टी एजेंसी सेंटर (मैक) को दिल्ली में स्थापित किया गया है। साथ ही राज्यों में स्थित एस–मैक के साथ इनका संपर्क भी स्थापित किया जा चुका है। प्रदेशों की राजधानी में काम कर रहे एस–मैक का संपर्क राज्य पुलिस के विशेष दस्ता के साथ भी स्थापित हो चुका है। ये सभी सेंटर का आपस में सूचनाओं का आदान–प्रदान करने के लिए अधिकृत हैं और 24/7 लगातार काम जारी रहता है। सूचनाओं को इकट्ठा करना, आदान–प्रदान करना और विश्लेषण करना, ये सभी कार्य नियमित अवधि में किया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी इस नये गुप्तचर तन्त्र (इन्टेलीजेन्स नेटवर्क) को हर प्रकार से मजबूत करने के लिए वचनबद्ध है।

- **बहुमुखी राष्ट्रीय आई. डी. कार्ड और राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर कार्यक्रम :** कांग्रेस के नेतृत्व में यू. पी.ए. सरकार एक स्पष्ट एक्शन प्लान को अमल में लाने का काम कर रही है, जिसके तहत देश के प्रत्येक नागरिक को बहुमुखी राष्ट्रीय आई.डी. कार्ड मुहैया कराया जायेगा। पिछले दिनों एल. के. आडवाणी का यह बयान आया था कि अगर भा.ज.पा. चुनाव जीत कर सरकार बनायेगी तो एम.एन.आई.सी. को लागू करने में **पहल** करेंगे। उनके इस कथन से यह जाहिर होता है कि यह बयान उन्होंने निंद्रा अवस्था में दिया है या अनभिज्ञता में, या फिर यह सत्य को नकारने का एक प्रयास है। सच यह है, कि इस योजना को कार्यरूप कांग्रेस के नेतृत्व में यू.पी.ए. सरकार द्वारा किया गया था, जबकि भा.ज.पा. अनभिज्ञ बनी रही। दरअसल आई.डी. कार्ड का आईडिया राजीव गांधी के दिमाग की उपज थी। उनके नेतृत्व में इस योजना का पहला पायलट कार्यक्रम राजस्थान में चलाया गया था। इसकी संकल्पना सबसे पहले 2003 में तैयार की गयी थी। लेकिन एन.डी.ए. सरकार की उपेक्षा के कारण इस पर अमल नहीं हो पाया। यू.पी.ए. सरकार केंद्र में बनने के बाद ही इस योजना को कार्यान्वित करना संभव हुआ और यह काम 31.3.2008 को समाप्त हुआ। यू.पी.ए. सरकार के कार्यकाल के दौरान बारह लाख लोगों को आई.डी. कार्ड दिये गये और साथ ही 26.64 लाख लोगों का एक डेटा–बेस भी तैयार किया गया है। यू.आई.डी. अथारिटी आफ इंडिया के द्वारा कार्ड वितरण का काम जारी है। आई.डी कार्ड वितरण का काम 2011 की

जनगणना और राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर कार्यक्रम के सामूहिक तत्वाधान में चल रहा है। इसे पूरा करने के लिए एक निश्चित समय सीमा है। अन्य कई लाभदायक उद्देश्यों सहित इन कार्यक्रमों से हम अपने नागरिकों की सही जानकारी पा सकेंगे और अवैध रूप से यहां रह रहे लोगों को पहचानने में सक्षम होंगे। देश की सुरक्षा संबंधी हमारे प्रयासों के लिए यह एक लाभकारी कदम होगा।

इस मुद्दे की गंभीरता को देखते हुए भारत के सभी समुद्री सीमा के पास वाले इलाकों में रहनेवाले नागरिकों को एवं अंडमान और निकोबार समूह के भी सभी नागरिकों को आई.डी. कार्ड देने का काम 2009–10 मे पूरा कर दिया जायेगा।

अगर कांग्रेस पार्टी सत्ता में आती है तो उपरोक्त उपायों को पूर्णतः एवं समय बद्ध तरीके से लागू करेगी। इसके अतिरिक्त इस दिशा में कांग्रेस पार्टी कुछ और निम्न लिखित कदम उठाने के लिए प्रतिबद्ध है।

- **विश्वस्तरीय राष्ट्रीय सुरक्षा डेटाबेस :** हम यह सुनिश्चित करेंगे कि हमारे पास विश्व स्तरीय राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित आंकड़े (डेटा बेस) उपलब्ध हों। आवश्यकतानुसार सभी सुरक्षा बल इसका इस्तेमाल कर सकेंगे। अर्न्तराष्ट्रीय स्तर पर कार्यरत अन्य डेटाबेस के साथ मिलकर काम हो सकेगा, ताकि आतंकवाद के हमले की पूर्व जानकारी हासिल की जा सके और जवाबी कार्रवाई के लिए हम तैयार रहें। इस संदर्भ में एक नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड स्थापित करने की दिशा में काम चल रहा है– यह व्यवस्था सूचनातंत्र और सुरक्षा के क्षेत्र में एक नया प्रतिमान होगा। इसका लक्ष्य है वांछित सूचनाओं को एकत्र कर शीघ्रता और सुरक्षित रूप से अन्वेषण एजेंसियों तक पहुँचाना। इस सुविधा को इस्तेमाल करने वाली एजेंसी और डेटा बेस की पहचान कर ली गयी है। दो वर्ष की अवधि के अंदर तीन फेज में यह कार्यक्रम पूरा किया जायेगा।

- **अपराध और अपराधी ट्रेकिंग नेटवर्क और सिस्टम (सी.सी.टी.एन.एस.)** एक ऐसी संस्था स्थापित करने के लिए कांग्रेस वचनबद्ध है, जिसका लक्ष्य होगा पुलिस के काम करने के तरीके में बेहतर विकास, सूचना संबंधी डेटा इकट्ठा करना, आपराधिक मामलों की जांच–पड़ताल व कानूनी प्रक्रिया का सतत् निरीक्षण और नागरिक केंद्रित सेवाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए सूचना व संचार तकनीक की मदद लेना। फिलहाल मौजूद ढांचे को इस्तेमाल करते हुए एक संचार नेटवर्क बनाने की भी योजना है। एस.डब्ल्यू.ए.एन., एन.आई.सी.एन.ई.टी., सी.डी.एम.ए., वी.एस.ए.टी. और अन्य तकनीकों का इस्तेमाल करते हुए संपर्क साधन उपलबध कराये जायेंगे। वर्ष 2011 से 2012 तक इस योजना को पूरा किया जायेगा।

- **सक्रिय अन्वेषण के लिए अत्याधुनिक साधन उपलब्ध कराना :** कांग्रेस यह सुनिश्चित करने के लिए वचनबद्ध है कि हमारे सुरक्षा बलों के पास बेहतरीन साधन और उपकरण उपलबध होंगे, जिसकी सहायता से सूचनाओं का सही विश्लेषण करने में हम सक्षम होंगे। इस विश्लेषण के लिए आधुनिक तकनीकों की व्यवस्था की जायेगी, जैसे – थ्रेट एसेसिंग मोडलिंग, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क और थ्री डायमेंशनल मोडलिंग ऑफ–क्रिमिनल, इन्फ्राइन्सट्रक्चर, जिसकी चर्चा प्रधानमंत्री ने अपने एक बयान में की थी। इन तकनीकों के सहयोग से काम करके यह सुनिश्चित किया जायेगा कि देश की सुरक्षा संबंधी सूचनाओं का विश्लेषण करने की क्षमता के मुद्दों पर यह देश सबसे आगे हो।

- **नागरिक अभियान द्वारा आतंकवाद पर नियंत्रण :** आतंकवाद को अपने देश से मिटाने के लिए हमें अपने नागरिकों के सक्रिय सहयोग की आवश्यकता है। दरअसल हमारा यह विश्वास है कि इस अभियान में आम लोग और विभिन्न समुदायों की विशेष भूमिका होगी। आतंकवाद के विरूद्ध इस लड़ाई में आम आदमी को शामिल करने के लिए हमने एक बहुस्तरीय अभियान की परिकल्पना तैयार की है। हमारी सरकार बनने के तीन महीने के अंदर ही इस अभियान को शुरु किया जायेगा। कई नागरिक संगठनों ने इस मुद्दे पर सरकार से संपर्क किया (सिटिजन अगेंस्ट टेरर संगठन ने एक "सिटिजन चार्टर" पेश किया) जिस पर हम विचार कर रहे हैं।

इस नागरिक अभियान के मुख्य तत्व हैं :

(क) संदेहास्पद गतिविधि की पहचान करने और इसकी जानकारी देने के संबंध में लोगों को शिक्षित एवं जागरूक करने के लिए अभियान;

(ख) अधिक जोखिम वाले राज्यों और शहरों के नागरिकों के लिए "सरवाईवल (बचाव) ट्रेनिंग प्रोग्राम" (आत्म रक्षा के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम) का प्रबंध करना ;

(ग) 24/7 आतंक विरोधी टोल–फ्री फोन लाइन की व्यवस्था, जहां लोग संदिग्ध गतिविधि की सूचना दे सकते हैं।

(घ) खास समुदायों को उपकरण उपलब्ध कराना (उदाहरण के लिए मछुआरों को सेल फोन मुहैया करना), ताकि वे संदिग्ध गतिविधि की जानकारी तुंरत सुरक्षा बलों और एजेन्सियों को दे सकें।

3. <u>सशक्त और समन्वित सुरक्षा एजेंसियां :</u>

देश की सुरक्षा को खतरों से बचाने के लिए कई एजेंसियां और सुरक्षा बल तैनात रहते हैं। प्रत्येक एजेंसी को अपनी–अपनी अलग और स्पष्ट जिम्मेदारी दी गयी है। इनके बीच सही तालमेल रहे, यह बहुत आवश्यक है। राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी और अन्य आतंकविरोधी दस्तों के बीच सामंजस्य के स्तर को और बेहतर बनाने को हम कटिबद्ध हैं, ताकि छोटी से छोटी सूचना की अनदेखी न हो।

हम यह भी सुनिश्चित करेंगे कि मुख्य सुरक्षा एजेंसियों को हर प्रकार की आर्थिक मदद प्राप्त हो और वे अपने अधिकारों का प्रयोग प्रभावी ढंग से करने में समर्थ हों।

इस दिशा में कांग्रेस के नेतृत्व में यू.पी.ए. सरकार ने कुछ जरूरी उपायों को लागू करने का काम किया है।

- **और शक्तिशाली आतंक विरोधी कानून :** इस उद्देश्य के लिए कांग्रेस के नेतृत्व में यू.पी.ए. सरकार ने कानून में संशोधन का काम किया है, जिससे सुरक्षा एजेंसियों के अधिकारों में बढ़ोत्तरी होगी। हमने गैर कानूनी गतिविधि (रोकथाम) संशोधन एक्ट, 2008 पेश किया है, जिसमें

आतंकवाद की परिभाषा को और व्यापक किया गया है। आतंक फैलाने के लिए संदिग्ध दोषियों की संपत्ति जप्त करने और उन्हें गिरफ्तार करके चार्जशीट से पहले कस्टडी में रखने के साथ ही आरोपी द्वारा खुद को बेकसूर साबित करने की आवश्यकता जैसे प्रावधान इसमें शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, हम "कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर" में बदलाव लाये हैं, और हमने नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी की स्थापना की है ।

- **राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसियों और सुरक्षाबलों को और शक्तिशाली बनाना :** हमने प्रमुख राष्ट्रीय सुरक्षा बलों को और अधिकार दिये हैं, ताकि आतंकवाद से मुकाबला करने के लिए उनके पास जरूरत के मुताबिक धन, संसाधन मौजूद हों, और सभी तरह के निर्णय लेने में वे सक्षम हों। सी.पी.एम.एफ. के डायरेक्टर जनरल और स्पेशल डायरेक्टर जनरल के, तथा आई.बी. के डायरेक्टर के वित्तीय संबंधी अधिकारों को और व्यापक कर दिया गया है। इससे जरूरत पड़ने पर वाहन, हथियार, गोला बारूद, तकनीकी उपकरण और कपड़े वगैरह की व्यवस्था करने में वे समर्थ होंगे। सी.आई.एस.एफ. कानून में भी संशोधन किया गया है, जिससे अब सी.आई.एस.एफ. निजी, संयुक्त एवं सहकारी क्षेत्रों के प्रतिष्ठानों को सुरक्षा प्रदान कर सकता है।

- **समुद्री और तटीय सुरक्षा :** कांग्रेस के नेतृत्व में यू.पी.ए. सरकार समुद्री और तटीय सुरक्षा को और बेहतर बनाने के लिए एक व्यापक कार्यक्रम को लागू कर रही है। भारतीय नौ सेना को समुद्री और तटीय सुरक्षा का सम्पूर्ण दायित्व सौंपा गया है। सुरक्षा के दृष्टिकोण से एकीकृत तटीय कमांड बनाया जायेगा और कोस्ट कार्ड के डायरेक्टर जनरल कमांडर होगें, जिनके पास केंद्र और प्रदेश के बीच सामंजस्य स्थापित करने की जिम्मेवारी होगी। इसके अलावा एक "सागर प्रहरी बल" बनाने का भी प्रावधान है, जिसमें एक हजार कर्मचारी होगें और जिसका काम नौसेना की संपत्ति और बेसों की रक्षा करना होगा।

ख. आतंकवादी चेतावनी या हमलों के खिलाफ निर्णयात्मक प्रतिक्रिया – दूसरा स्तम्भ

सुरक्षा प्रबंध का एक मूल तत्व है कि सुरक्षा बल की जिम्मेवारी उन कारणों को रोकना, खोज निकालना और निष्फल करना है, जिससे देश की सुरक्षा को खतरा पैदा हो सकता है। इसलिए आतंकवाद को रोकने की क्षमताओं को व्यवस्थित और विकसित करने के साथ–साथ हम आतंकवाद के हमलों की जवाबी कार्रवाई के लिए देश की सुरक्षा व्यवस्था को और भी मजबूत कर रहें हैं। इसके लिए सही और बेहतर तालमेल, प्रभावशाली कार्रवाई की प्रक्रिया और उच्च कोटि की जांच–पड़ताल आवश्यक है ताकि आतंकवादियों को तीव्रता से सजा मिले और न्याय हो। कांग्रेस के नेतृत्व में सरकार की रणनीति का यह दूसरा स्तंभ है।

1. <u>धमकी या हमले के खिलाफ निर्णायात्मक कार्रवाई</u>

तीव्रता के साथ और प्रभावकारी ढंग से जवाबी कार्रवाई करने की हमारी योग्यता यह सुनिश्चित कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, कि हमलों की चेतावनी, वास्तविक आक्रमण में न बदल पाये। अगर हमला होता है तो जानमाल का कम से कम नुकसान हो। अपने प्रतिरोधी सूचना तंत्र को समर्थ होना चाहिए ताकि हम बाहरी असूचना सुरक्षा एजेंसियों की खतरनाक गतिविधियों को निष्फल कर सकें। ऐसे उपायों की चर्चा पहले की जा चुकी है जैसे : बेहतर उपकरण से लैस सुरक्षा बल, एन.ए.टी.जी.आर.आई.डी., सी.सी.टी.एन.एस. और मैक प्रक्रिया वगैरह – इनकी मदद से भविष्य में हम यह सुनश्चित करने में समर्थ होंगे कि आतंकवाद के खतरों से निपटने के लिए हम तैयार हैं।

इस संबंध में कुछ उपायों को लागू किया जा चुका है:

- **खतरों की स्थिति में जवाबी कार्रवाई के लिए राज्यों को सहयोग :** कांग्रेस के नेतृत्व में यू.पी.ए. सरकार ने राज्यों को आर्थिक मदद सहित तमाम सामग्री और सहयोग उपलब्ध कराये हैं, ताकि बचाव के उपायों को राज्य सरकारें लागू कर सकें और आवश्यकता पड़ने पर तत्काल अपनी सुरक्षा करने में सक्षम हों। सभी राज्य सरकारों को आतंकवाद की चुनौती से निपटने के लिए राज्य स्तर पर सुरक्षा का एक स्पष्ट एवं प्रभाशाली ढांचा तैयार करने के लिए कहा गया

है। गृह मंत्री ने अपने बयान में स्पष्ट किया है, "इस बारे में, किसी तरह के संदेह की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए कि कौन किस काम के लिए उत्तरदायी है; विभिन्न सुरक्षाबलों को आदेश देना किसके अधिकार में शामिल है; समय की मांग के अनुसार सुरक्षा बल तैनात करना किसकी जिम्मेदारी है, और आपरेशन की सफलता की जवाबदेही किसकी है; इन सारे पहलुओं की स्पष्ट जानकारी राज्यों के पुलिस बल और अन्य सुरक्षा बलों के पास होनी चाहिए, जो आतंकवाद की चेतावनी या हमलों के समय जवाबी कार्रवाई में शामिल हो सकते हैं"। भविष्य में भी कांग्रेस की सरकार सभी राज्य सरकारों को हर संभव सहायता देने के लिए कटिबद्ध है।

- **हवाई जहाज हासिल करने का अधिकार :** जवाबी कार्रवाई को और प्रभावशाली बनाने के उद्देश्य से कांग्रेस के नेतृत्व में यू.पी.ए. सरकार ने अधिसूचना जारी करके केंद्र सरकार और एन.एस.जी. को यह अधिकार सौंपा है कि जरूरत पड़ने पर वे हवाई जहाज हासिल करने का निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हैं। इस कदम से पहले आतंकवाद के हमलों के समय सुरक्षाबलों की आवाजाही आसान हो जायेगी।

- **देश भर में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड केंद्र :** देश के विभिन्न क्षेत्रों में एन.एस.जी. केंद्र स्थापित करने के लिए हम वचनबद्ध हैं। इससे देश के किसी कोने में हमला होने पर जवाबी कार्रवाई तुरंत शुरू की जा सकेगी। आरंभ में देश के चार बड़े शहरों में यह केंद्र बनाये जा रहे हैं, फिर पूरे देश में इसका विस्तार होगा। मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई और हैदराबाद के केंद्र 30 जून 2009 तक अपना काम शुरू कर देंगे। इसके अलावा सेना का एक दस्ता, "स्पेशल फोर्स" बंगलूरू में स्थापित किया गया है जो आतंकवाद विरोधी दस्ते के रूप में काम करेगा। जब तक एन.एस जी. केंद्र स्थापित नहीं हैं, तब तक इसी तरह का विशेष दस्ता दूसरे महत्वपूर्ण शहरों में भी मौजूद रहेगा।

इन उपायों के अतिरिक्त, निम्नलिखित कदमों को लागू करने के लिए हम वचनबद्ध हैं, अगर कांग्रेस की सरकार सत्ता में आती है :

- **चेतावनी–स्तर पर संचार प्रॉटोकॉल और मानक कार्रवाई मैन्यूअल :** आतंकवाद की चेतावनी या हमले के समय बिना कोई वक्त गंवाये कार्रवाई शुरू की जा सके, इस लक्ष्य को ध्यान में रखकर एक चेतावनी स्तर संचार प्रोटोकॉल तैयार किया जायेगा। कलर कोडेड व्यवस्था की सहायता से आपातस्थिति में सुरक्षा अधिकारियों और आम जनता से लगातार संपर्क बना रहेगा। इसी तरह एक मानक कार्रवाई मैन्यूअल तैयार किया जायेगा जिसमे सभी प्रकार के खतरों और हमले की स्थिति में सुरक्षा बलों की जिम्मेदारियों का स्पष्ट उल्लेख होगा। इससे सुरक्षा बल और आम जनता को जवाबी कार्रवाई के लिए तैयार होने में मदद मिलेगी। कलर कोडेड व्यवस्था में पांच स्तर होंगे – लाल (उग्र), एम्बर (उच्च स्तर), पीला (तथाकथित उच्च स्तर), ब्लू (सतर्कता) और हरा (निम्न स्तर)। इनकी मदद से खतरे के स्तर के मुताबिक देश के विभिन्न सुरक्षा बल अपनी तैयारी कर पायेंगे। इस मैन्यूअल में आम आदमी और मीडिया के लिए सूचना और निर्देशों का भी विवरण होगा।

- **स्थायी संकट नियंत्रण समूह ("वॉर रूम") :** हम एक स्थायी संकट नियंत्रण समूह भी स्थापित करेंगे। इस वॉर रूम की स्थापना समयबद्ध तरीके से की जायेगी। समूह के दो मुख्य उत्तरदायित्व होंगे :

  (अ) आतंकवादी चेतावनी या हमलों के दौरान पूर्ण युद्ध के समय के तरह की निगरानी और संचालन की व्यवस्था होगी।

  (ब) 24/7 चौकसी और संचालन के रूप में काम।

2. <u>सख्त कार्रवाई के लिए अन्वेषण और कानूनी प्रक्रिया में तेजी :</u>

जवाबी कार्रवाई की उत्तम क्षमता को विकसित करने के साथ ही हम यह भी सुनिश्चत कर रहे हैं, कि जांच–पड़ताल और कानून की प्रक्रिया भी सक्षम और तेज हो, ताकि दोषी व्यक्ति को सजा दी जा सके। गैर कानूनी गतिविधि (रोकथाम) संशोधन एक्ट को लागू करके कांग्रेस के नेतृत्व में यू.पी.ए. सरकार ने इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया है। कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में यू.पी.ए. सरकार ने कई अन्य निम्नलिखित महत्वपूर्ण कदम उठाये हैं :

- **एक सक्रिय राष्ट्रीय इन्वेस्टीगेटिंग एजेंसी (एन.आई.ए.) :** यह साफ है कि आतंक के बदलते और परिष्कृत होते जा रहे रूप के सामने आतंकवाद की चुनैतियों पर केन्द्रित एक विशेष एजेंसी की जरूरत बढ़ गयी है। इस बात को ध्यान में रखते हुए, हमने एक नयी नेशनल इन्वेस्टीगेटिंग एजेंसी बनायी है। आतंकवाद से जुड़े मामलों की जांच पड़ताल का काम करना इनकी जिम्मेदारी है। इसके लिए एजेंसी को व्यापक अधिकारी दिये गये हैं। एन.आइ.ए. को आतंक से जुड़े अपराधों के साथ–साथ सूचना तंत्र से प्राप्त जानकारी के आधार पर आतंक से जुड़े खतरों और अपराधों के अन्वेषण का अधिकार भी एन.आई.ए.को दिया गया है। इस तरह की संस्था की महत्ता को समझते हुए इसके लिए महानिदेशक की नियुक्ति कर दी गयी है। इस संस्था में 94 पदों की मंजूरी भी दे दी गयी है, जिनमें अतिरिक्त महानिदेशक और दो इंस्पेक्टर जनरल के पद शामिल हैं।

अगर चुनाव जीत कर हमारी सरकार बनी, तो कांग्रेस पार्टी इन अन्य उपायों को लागू करने के प्रति वचनबद्ध है :

- **कानूनी कार्रवाई में तेजी लाने के लिए न्यायिक टास्क फोर्स :** हम एक टास्क फोर्स स्थापित करेगें जो इस दिशा में न्यायिक और प्रशासनिक ढांचा तैयार करेगा, यह सुनिश्चित करने के लिए कि देश की सुरक्षा से सम्बन्धित और आतकंवाद से जुड़े मामलों की सुनवाई 90 दिनों कें अंदर पूरी की जाये। टास्क फोर्स को 31.8.2009 तक रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा जायेगा और हम वादा करते हैं कि 30 दिनों के अंदर इसपर कार्रवाई की जायेगी।

- **राजनीतिक निरीक्षण :** आतंरिक सुरक्षा और आतंकवादी के विरूद्ध कार्रवाई का उत्तरादायित्व सुरक्षा एजेंसियों का होता है और इस संबधं में आवश्यकता अनुसार कार्रवाई करने का उन्हे समुचित अधिकार दिया गया है। इसके अतिरिक्त कांग्रेंस की सरकार, गृह मंत्री और प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एक निरीक्षण मशीनरी स्थापित करेगी। गृह मंत्री हर राज्य की सुरक्षा संबंधी तैयारियों का निरीक्षण, वर्ष में कम से कम एक बार करने का काम जारी रखेंगे। राज्यों के गृह मंत्रियों की बैठक हर छः महीने में आयोजित की जायेगी और मुख्य मंत्रियों की बैठक सुरक्षा के मुद्दे पर, वर्ष में एक बार अवश्य होगी, जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करेंगे। राजनीतिक स्तर पर इन बैठकों में की गयी समीक्षा से महत्वपूर्ण नीतियों से संबंधित मुद्दों पर एकमत होने की संभावना बनेगी। इससे राज्यों को भी सही और उच्च कोटि की कार्यशैली अपनाने का मौका मिलगा, जिसके परिणाम स्वरूप आतंकविरोधी लक्ष्य को पाने में भी सफलता मिलेगी।

III. निष्कर्ष

जैसा कि इस विश्लेषण से जाहिर है, कांग्रेस के नेतृत्व में यू.पी.ए. सरकार ने देश की आतंक विरोधी क्षमता बढ़ाने के लिए कई महत्वपूर्ण और निर्णायक कदम उठाये हैं। भारत के इतिहास में इस किस्म के प्रयास अभूतपूर्व हैं। लेकिन ऐसा दौर भी पहले कभी नहीं आया, देश को ऐसी खतरनाक चुनौती का सामना भी पहले नहीं करना पड़ा था। इस अभूतपूर्व दौर में अभूतपूर्व उपायों की जरूरत थी, और हमने इसी रास्ते पर कई कदम उठाये हैं।

हम जानते हैं कि अभी बहुत काम करना बाकी है। जैसा कि पिछले दिनों प्रधानमंत्री ने कहा है, "मैं इस बात से सहमत हूं कि अभी तमाम उपाय लागू करने बाकी हैं, जिनकी जरूरत भी है। केंद्र और राज्य सरकारों को मिलकर इस राष्ट्रीय कार्य को तीव्रता, कुशलता और वचनबद्धता के साथ पूरा करना है"।

अगर कांग्रेस पार्टी चुनाव जीतकर सरकार बनायेगी, तो यह काम हमारे लिए **"मिशन नंबर वन"** होगा।

हमने अपने मेनिफैस्टों में यह बात कही है कि :

"हम इस देश के प्रत्येक नागरिक को हर संभव अधिकतम सुरक्षा प्रदान करने की गारंटी देते हैं। आतंकवाद के लिए हमारी नीति "जीरो टोलरेंस" की रहेगी, चाहे उसका श्रोत कहीं भी हो।"

भारत की जनता के प्रति वचनबद्ध और भविष्य की स्पष्ट योजना के साथ हम आपके सामने खड़े हैं।

हमने नींव रख दी है। अब इस रणनीति को तेजी से और पूर्णतः कार्यान्वित करना अत्यन्त आवश्यक है। यह हमारा संकल्प है कि कांग्रेस पार्टी, नई सरकार का नेतृत्व करते हुए, इस रणनीति को कार्यन्वित करेगी और भारत को आतंकवाद से सुरक्षित रखेगी।

टिप्पणी

टिप्पणी